

(राजस्थान-सरकार)

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

क्रमांक:-प.12-1(41)विविध/FRA/राजस्व/2019/2257

दिनांक:-15/06/2021

—: आदेश :—



यतः अधिशाषी अभियन्ता, एनसीआरपीबी, खण्ड अलवर (राज०) ने उनके पत्रांक 137 दिनांक 25.06.2019 से सड़क परियोजना पडीसल-जगता बसई-राताखुर्द-बालन बसई-श्यामाका-इस्माईलपुर-गंज-किशनगढ़बास रोड़ में आ रही वन विभाग की आ०ख०नं० 261 रकबा 0.52 है०, 101 रकबा 0.86 है०, 100 रकबा 0.78 है०, 1 रकबा 0.45 है० वाके ग्राम बालन बसई तहसील किशनगढ़बास, आ०ख०नं० 176 रकबा 0.66 है०, 159 रकबा 0.27 है०, 72 रकबा 0.03 है०, 02 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम नंगली जनार्दन तहसील किशनगढ़बास, आ०ख०नं० 454 रकबा 0.23 है०, 447 रकबा 0.52 है०, 412 रकबा 0.39 है०, 381 रकबा 0.49 है०, 205 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम श्यामाका तहसील किशनगढ़बास किस्म जंगलात कुल किता 13 कुल रकबा 5.90 है० भूमि का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुच्छेद 12, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम, 2008 तथा संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानुसार दिनांक 30.09.2019 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति/निर्णय के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक (41)/विविध/FRA/Rev./2019/3022-27 दिनांक 03.10.2019 से उक्त नियम के तहत FRA प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

उप वन संरक्षक, अलवर ने उनके पत्रांक 5388 दिनांक 21.06.2019 से वृक्षारोपण हेतु प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन/आरक्षित वन विभाग के पक्ष में करवाये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०, एनसीआरपीबी, खण्ड अलवर (राज०) को लिखा गया है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास ने उनके पत्रांक 113 दिनांक 06.03.2020 से ग्राम चाचाका तहसील किशनगढ़बास के आ०ख०नं० 437 रकबा 9.54 है० में से 5.90 है० किस्म गैर मुमकिन बेहड भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किया है। उप वन संरक्षक, अलवर ने उनके पत्रांक एफ-18(63)एफ.सी.ए./उवसं-अलवर/ 2020/6420-22 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के संबंध में सहमति प्रदान की है।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर (राज०) ने उनके पत्रांक प०6(47)राज-3/2021 दिनांक 25.05.2021 से सड़क परियोजना पडीसल-जगता बसई-राताखुर्द-बालन बसई-श्यामाका-इस्माईलपुर-गंज-किशनगढ़बास रोड़ में आ रही 5.90 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन ग्राम चाचाका तहसील किशनगढ़बास के आ०ख०नं० 437 रकबा 9.54 है० में से 5.90 है० किस्म गैर मुमकिन बेहड के प्रत्यावर्तन की राजकीय स्वीकृति राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के प्रावधानों के कम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति उपरान्त किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की है।

अतः जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के अनुसरण में सड़क परियोजना पडीसल-जगता बसई-राताखुर्द-बालन बसई-श्यामाका-इस्माईलपुर-गंज-किशनगढ़बास रोड़ में आ रही 5.90 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन ग्राम चाचाका तहसील किशनगढ़बास के आ०ख०नं० 437 रकबा 9.54 है० में से 5.90 है० किस्म गैर मुमकिन बेहड की किस्म खारीज कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग, राजस्थान सरकार को वनरोपण (Afforestation) हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रत्यावर्तन की जाती है:-

शर्त :-

01. प्रत्यावर्तन भूमि को उपयोग में लेने से पूर्व वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के प्रावधानों के कम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति ली जावेगी।

02. सदस्य सचिव, क्षेत्रीय सशक्त समिति, लखनऊ द्वारा जारी, दिनांक 25.11.2020 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति की 51वीं बैठक कार्यवृत्त क्रमांक 11/1092/REC/2014-UP/-


(2)

(Part-11)/1119 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार बैठक में सम्मिलित किये गये एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं जयपुर के प्रस्तावों में निम्नानुसार निर्णय लिया गया, जिसकी पालना सार्वजनिक निर्माण विभाग (User Agency) द्वारा की जावेगी:- "The Proposal Was Approved on Normal Terms and Conditions Including Following additional Condition - As far as possible maximum number of trees shall be translocate by the user agency, according to a detailed scheme for translocation of suitable plants, prepared in consultation with the State Forest Department and the cost for the same shall be borne by the user agency."

03. सड़क परियोजना पडीसल-जगता बसई-राताखुर्द-बालन बसई-श्यामाका-इस्माईलपुर -गंज-किशनगढ़बास रोड़ में आ रही वन भूमि/समतुल्य गैर वन भूमि के संबंध में उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर के पत्रांक 8बी/राज०/06/09/2020/एफ.सी./41 दिनांक 07.12.2020 में अंकित शर्तों की पालना वन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी।
04. प्रत्यावर्तन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि का किसी प्रकार का बेचान, रहन एवं हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा।
05. भूमि जिस प्रयोजनार्थ प्रत्यावर्तन हुई है उसी प्रयोजन के काम में ली जावेगी।
06. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हों) के सभी संबंधित प्रावधानों की दृढ़तापूर्वक पालना की जावेगी।
07. माननीय न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार प्रकरण में जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
08. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 11153/2011 सूओमोटो बनाम राज्य सरकार में दिनांक 29.05.12 को पारित आदेशों की पालना की जावेगी।
09. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट (पीआईएल) संख्या 1554/2004 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम गुलाब कोठारी में दिनांक 12.01.2017 को पारित आदेशों की पालना की जावेगी।

राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 एवं पर्यावरणीय अधिनियमों की पालना की जावेगी। उक्त शर्तों की पालना नहीं किये जाने, किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में प्रत्यावर्तन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।




  
(नन्मूल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर, अलवर  
दिनांक:- 25/06/2021

क्रमांक:-प.12-1(41)/विविध/FRA/राजस्व/2019/2258-68  
प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर (राज०)।
02. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

02. उप वन संरक्षक, अलवर (राज०)।
03. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर (राज०)।
04. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास (अलवर)।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त अलवर (राज०)।
06. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनसीआरपीबी, खण्ड अलवर (राज०)।
07. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर (राज०)।
08. तहसीलदार, किशनगढ़बास (अलवर)।
09. विकास अधिकारी, पं०स० किशनगढ़बास (अलवर)।
10. रक्षित पत्रावली।

  
प्रभाषी अधिकारी,  
(राजस्व प्रकोष्ठ)  
कलक्टर अलवर